© 2026 IJRTI | Volume 11, Issue 4 April 2026 | ISSN: 2456-3315

आधुनिक समय में सामुदायिक जीवन के महत्व की पुनर्स्थापना में माइकल वाल्ज़र के विचारों की प्रासंगिकताः एक अध्ययन

डॉ0 शशि सौरभ,
सह–आचार्य, राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
ssaurabh@dsmnru.ac.in

आमूर्त

मानव समाज मानव समुदायों का एक बृहद रूप रहा है। प्राचीन काल से मानव जीवन में समुदाय के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह मानव समुदाय ही हैं, जो मानव समाज को विविधताओं से भरा समाज बनाता हैं। इसके अभाव में मानव समाज तथा पशुओं के झुंड में कोई अंतर शेष नहीं रह जाता। आधुनिकीकरण के दौर में मानव समाज में समुदाय का घटता महत्व एक चिंता का विषय है। आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से इस प्रकार घिरा हुआ है कि वह अपने परिवार, रिश्तेदार, अपने समुदाय और वृहद समाज से पूर्णतया दूर होता चला जा रहा है। ऐसे में समाज का विघटन और बिखराव एक गंभीर संकट के रूप में विश्व के तमाम समाज में देखने को मिल रही है। ऐसे में समुदायवादी विचारधारा समुदाय की आवश्यकता पर बल देते हुए व्यक्ति को उसके समुदाय से अलग न किये जाने पर बल देती है और उसके समुदाय को ही उसके अस्तित्व का आधार मानती है। समुदाय व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस क्रम में जब हम समाज के गठन तथा मानव समाज में न्याय की स्थापना की बात करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए की न्याय की कोई भी अवधारणा व्यक्ति के समुदाय से अलग अथवा उसकी अनदेखी कर निर्मित नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करने पर सबसे बड़ा संकट यह उभरता है की न्याय की वह अवधारणा कभी मूर्त रूप धारण नहीं कर पाती और विभिन्न समुदायों में असंतोष की भावना ज्यों की त्यों बनी रहती है, जो आगे चल कर सामाजिक विघटन और दुराव का कारण बनती है और अंततः जिसके परिणाम स्वरूप समाज में शांति और व्यवस्था को कायम करना एक चुनौती बन जाती है। ऐसे में माइकल वाल्जर के विचारों में समुदाय के महत्व को पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास देखने को मिलता है, जो इस शोध पत्र की मूल विषयवस्तु है। अतः इस शोधपत्र में आधुनिक समाज में समुदाय के महत्व को पुनर्स्थापित करनें में माइकल वाल्जर के विचारों की भूमिका का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जो उनके विचारों की प्रासंगिकता को भी स्पष्ट कर देता है।

मूल शब्द– माइकल वाल्ज़र, न्याय के क्षेत्र, अवरूद्ध विनिमय, जटिल समानता की संकल्पना

प्रस्तावना

समुदाय लोगों के एक ऐसे समूह को दर्शाता है, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व राजनीतिक रूप से एक समान अनुभवों, हितों और पहचान को साझा करते हैं। प्राचीन काल से सामुदायिक जीवन मानव समाज का एक महत्वपूर्ण मूल्य रहा है, जो व्यक्ति को उसके समुदाय में स्थापित करके समझने का प्रयास करता है। इसके मूल में यह विचार है कि व्यक्ति अपने समुदाय से अलग करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसके विचार, उसका व्यक्तित्व और

उसके जीवन का प्रत्येक पक्ष उसके सामुदायिक मूल्य के प्रतिबिम्ब के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में सामुदायिक जीवन की संकल्पना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।

आधुनिक काल के प्रारंभ के साथ ही समुदाय की संकल्पना को तब गहरी चोट पहुंची जब उदारवादी दृष्टिकोण ने व्यक्ति पूर्णतयः व्यक्तिवादी और भौतिकतावादी प्राणी के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि एक तरफ तो आधुनिकता ने लोकतंत्र के प्रसार पर बल दिया परन्तु दूसरी तरफ व्यक्ति सामुदायिक जीवन से कटकर पूर्णतया एकाकी जीवन व्यतीत करने लगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यक्ति के प्रतिभाग के अभाव में लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ ही समाप्त हो गया। इस प्रकार समुदाय की संकल्पना के समक्ष संकट न केवल आधुनिक समाज के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह लोकतंत्र के लिए भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। लोगों की समाज तथा राजनीति के प्रति बढ़ती उदासीनता सामुदायिक जीवन के महत्व को पुनर्निमित करने की आवश्यकता को बल प्रदान करती है।

माइकल वाल्जर एक समुदायवादी विचारक के रूप में समुदाय के महत्व को पुनर्स्थापित करने पर अत्यधिक बल देते है। अतः इस शोध पत्र में माइकल वाल्जर के विचारों का अध्ययन करते हुए यह देखने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समुदाय के महत्व को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है।

समुदाय और सामुदायिक जीवन की संकल्पना

समुदाय का तात्पर्य केवल लोगों का समूह नहीं है।[1] यह लोगों के एक ऐसे समूह को दर्शाता है, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व राजनीतिक रूप से एक समान अनुभवों, हितों और पहचान को साझा करते हैं। रार्बट पुटनाम ने माना है कि ''मजबूत समुदाय लोकतंत्र, आर्थिक समृद्धि और व्यक्तिगत कल्याण के लिए आवश्यक हैं।''[2] प्राचीन काल से समुदाय की संकल्पना अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन यूनान में सामुदायिक जीवन साझा नैतिक मूल्यों, सामूहिक हितों और सामूहिक पहचान को दर्शाती थी और यह माना जाता था कि व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए समुदाय की सदस्यता एक अनिवार्य शर्त है। मध्यकाल में समुदाय की संकल्पना का आधार धर्म और धार्मिक विश्वास बन गया, जो साझा धार्मिक मूल्यों को दर्शाता था। आधुनिक काल में समुदाय और सामुदायिक जीवन की परिभाषा व्यक्तिक हितों और व्यक्तिवादी चिन्तन तक सीमित रह गयी जिसमें समुदाय को स्वार्थपूर्ती के साधन के रूप में देखा जाने लगा। समुदाय के प्रति कर्तव्य निर्वहन के स्थान पर व्यक्तिक स्वतंत्रता और अधिकारों की संकल्पना ने अपना स्थान बना लिया। भौतिकतावाद ने सामुदायिक मूल्यों को दरकिनार कर व्यक्तिक हितों को सर्वोपरि बना दिया। इस प्रकार धीरे–धीरे समुदाय की संकल्पना और इसका महत्व कमज़ोर पड़ने लगा, जो सामाजिक विघटन और मानवीय मूल्यों के पतन का कारण बन गया। आधुनिक समय में सामुदायिक जीवन के समक्ष कई मौलिक चुनौतियाँ हैं जिनके रहते सामुदायिक जीवन की संकल्पना को पुनर्स्थापित कर पाना संभव नहीं है, यथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण; भौतिकतावाद, उपयोगितावादी दृष्टिकोण, बाज़ारवाद, उपभोक्तावादए इत्यादि।

माइकल वाल्जर का समुदायवादी चिन्तन

माइकल वाल्जर एक समुदायवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में ''जस्ट एंड अनजस्ट वार'', ''स्पीयर्स ऑफ जस्टिस'' तथा ''ऑन टॉलरेशन'' नामक पुस्तक प्रसिद्ध हैं। एक समुदायवादी विचारक होने के नाते वाल्जर का यह मानना था कि व्यक्ति समुदाय से भिन्न करके नहीं देखा जा सकता। व्यक्ति की पहचान उसके समुदाय से जुड़ी हुई होती है।[3] उसके व्यक्तित्व का अधिकांश अंश उसके समुदाय से निर्मित होता है, इसलिए समुदाय को अनदेखा कर न्याय की संकल्पना, जिस प्रकार जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था, व्यवहारिक और

---

[1] बुचानन,एलन, ''समुदाय और समुदायवाद'' देखें (Buchanan, Allen. Community and communitarianism, 1998, doi:10.4324/9780415249126-S010-1. Routledge Encyclopedia of Philosophy, Taylor and Francis, https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/community-and-communitarianism/v-1.)

[2] पुटनाम, राबर्ट डी0, ''बावलिंग एलोनः द कोलैप्स एण्ड रिवाइबल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी'',टचस्टोन बुक,न्यूयार्क, 2000, पृ0 19

[3] वाल्ज़र, एम0ए ''स्पीयर्स ऑफ जस्टिशः ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज़्म एण्ड इक्वैलिटी'' (Walzer M., "Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality), बेसिक बुक्स, न्यूयार्क, 1983ए पृ0 9

उचित नहीं है। वाल्जर का यह मानना था कि न्याय सदैव समुदाय के मूल्य पर आधारित होना चाहिए। न्याय की कोई सार्वभौमिक संकल्पना नहीं हो सकती, जिसे समान रूप से संपूर्ण समाज पर लागू किया जा सके। प्रत्येक समुदाय की अपनी परम्पराएं, संस्कृति और ऐतिहासिक पृष्टभूमि होती हैं; जो समुदाय की मान्यताओं को निर्मित करने का कार्य करते हैं। ऐसे में उनकी अनदेखी कर न्याय की स्थापना करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार वाल्जर का यह मानना था कि न्याय सदैव सामुदायिक नैतिकता तथा मूल्यों पर आधारित होना चाहिए और इसका आधार नैतिक तर्क होना चाहिए न कि बौद्धिक तर्क। सामुदायिक जीवन को साकार रूप देने तथा इसे पुनर्स्थापित करने के क्रम में वाल्ज़र के राजनीतिक चिन्तन के कुछ आयामों को ध्यान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जैसे वितरणात्मक न्याय की संकल्पना, जटिल समानता की संकल्पना, सामुदायिक मूल्यों को प्राथमिकता, तथा सहिष्णुता से संबंधित विचार।

माइकल वाल्जर के वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त

अपनी पुस्तक स्पीयर्स ऑफ जस्टिस में उन्होंने वितरणात्मक न्याय की संकल्पना प्रतिपादित करते हुए ''जटिल समानता'' की संकल्पना प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत उनका यह मानना है कि मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में वस्तुओं के वितरण का आधार अलग–अलग होना चाहिए यथा धन, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में मुक्त विनिमय तथा मांग और आपूर्ति को वितरण का आधार माना जाना चाहिए; राजनीति में शक्ति, पद और अधिकार को लोकतांत्रिक समानता के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए; शिक्षा को योग्यता और क्षमता के आधार पर; स्वास्थ्य को आवश्यकता के आधार पर; पदों को योग्यता और कौशल के आधार पर; परिवार में प्रेम और सुरक्षा को भावनात्मक संबंधों के आधार पर; धर्म के क्षेत्र में सम्मान का वितरण आस्था और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर; सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा का वितरण व्यक्ति के योगदान के आधार पर; सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण का वितरण आवश्यकता के आधार पर किये जाने का समर्थन किया है।

वाल्जर कहते हैं कि यदि कि किसी एक क्षेत्र के वितरण के आधार को अन्य क्षेत्र में वितरण का आधार बना दें तो इससे अन्याय की संभावना उत्पन्न हो जाती है। वाल्ज़र इस ''अवरुद्ध विनिमय'' (ब्लॉक्ड एक्सचेंज) की संकल्पना प्रस्तुत कर स्पष्ट करते हैं। उनका यह मानना है कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक निश्चित सीमा होगी और प्रत्येक क्षेत्र में वितरण के आधार को एक दूसरे से भिन्न रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी एक क्षेत्र के वितरण का आधार किसी दूसरे क्षेत्र पर हावी ना हो जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक क्षेत्र में व्याप्त असमानता दूसरे क्षेत्र में असमानता को न जन्म दे। उदाहरण के रूप में यदि पैसा बाजार में वस्तुओं के वितरण का आधार है, तो पैसे का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति अथवा किसी अन्य क्षेत्र में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर किसी एक क्षेत्र का आधार अथवा मूल्य अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने लगेगा और इस प्रकार वह सबसे प्रभावशाली क्षेत्र बन जाएगा। प्रायः विभिन्न आधुनिक समाजों में ऐसा देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि राजनीति और समाज पर भी अपना प्रभाव रखता है, जिसके कारण समस्त क्षेत्रों में उसका एकाधिकार स्थापित हो जाता है, जो किसी न्याय पूर्ण समाज का लक्षण नहीं कहा जा सकता। अतः समाज में न्याय स्थापित करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र के आधार को केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रखा जाए।

जटिल समानता की संकल्पना

वाल्ज़र इसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि असमानताएं अपने आप में गलत नहीं है बल्कि जब एक क्षेत्र में असमानताएं दूसरे क्षेत्र में असमानताओं को जन्म देती हैं, तो हमारी सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था को इससे बचाव करना चाहिए, जिसे वाल्जर ने ''जटिल समानता'' के रूप में दर्शाया है।

''जटिल समानता''[4] की अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व वाल्जर ने सबसे पहले सरल समानता की संकल्पना को स्पष्ट किया, जिसके अंतर्गत वाल्जर ने कहा कि यदि किसी समाज में आर्थिक समानता है और अर्थ (पैसा) ही समस्त वस्तुओं के क्रय का माध्यम हो तो ऐसी स्थिति में समाज में समानता आ जाएगी, जो सरल समानता को दर्शाता है। इस प्रकार की समानता में कोई समस्या नहीं है, परन्तु यह अस्थिर स्थिति है, जो बाजार विनिमय के माध्यम से

[4] वाल्ज़र, एम0ए ''स्पीयर्स ऑफ जस्टिशः ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज़्म एण्ड इक्वैलिटी'' (Walzer M., "Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality), बेसिक बुक्स, न्यूयार्क, 1983ए पृ0 6

तेजी से बिगड़कर नई असमानताओं को जन्म देगा। ऐसे में समानता को बनाए रखने के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में उभरते एकाधिकारों और प्रभुत्व को तोड़ने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का उपयोग करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त सरल समानता से अगल जटिल समानता को स्पष्ट करते हुए वाल्जर कहते हैं कि जटिल समानता की अवधारणा का उपयोग करना एक बेहतर रणनीति है। वाल्ज़र कहते हैं कि यदि ऐसे समाज की कल्पना की जाए, जिसमें विभिन्न सामाजिक वस्तुओं पर किसी न किसी का एकाधिकार हो जैसा कि सामान्यतः होता है और यह रहेगा भी, यदि राज्य का नियंत्रण और निरंतर हस्तक्षेप न हो तो। लेकिन इस समाज में कोई विशेष वस्तु सामान्यतः परिवर्तनीय न हो, तो यह एक जटिल समतावादी समाज है। यद्यपि इसमें कई छोटी–छोटी असमानताएं होंगी लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया से असमानता कई गुना नहीं बढ़ेगी और न ही यह विभिन्न वस्तुओं में समाहित होगी क्योंकि वितरण की स्वायत्तता से विभिन्न समूह के पुरुषों और महिलाओं द्वारा धारित स्थानीय एकाधिकारों की विविधता उत्पन्न होगी। वाल्जर यह कहते हैं कि इस जटिल समानता से समाज में न्याय की स्थापना सफलतापूर्वक की जा सकती है।

सामुदायिक मूल्यों को प्राथमिकता

इसी कम में वाल्जर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी समुदाय विशेष के इतिहास और संस्कृति को ध्यान में रखकर ही सामाजिक वस्तुओं के अर्थ को निर्धारित किया जाना चाहिए। वाल्ज़र इसे इस रूप में दर्शाते हैं कि ''प्रथम, वितरण का सिद्धांत वस्तु–आधारित होना चाहिए; तथा द्वितीय, वस्तु–आधारित सिद्धांत संस्कृति–आधारित होनी चाहिए।'' वाल्ज़र का अभिप्राय यह कि न्याय का सिद्धान्त समुदाय के सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए।

वाल्ज़र का यह भी मानना है कि किसी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और बनाए रखे जाने वाले विशिष्ट क्षेत्र की संख्या और उस समाज के न्यायपूर्ण होने की संभावना के बीच एक सकारात्मक संबंध है। जिस समाज में जितने अधिक विशिष्ट क्षेत्रों की संख्या होगी वह उतना ही न्यायपूर्ण होगा। मध्ययुगीन राजतंत्र शक्तियों के केन्द्रीकरण को दर्शाता था, जो आधुनिक दृष्टिकोण से अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है, परन्तु इसे तब तक अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक उस व्यवस्था के अधीन रह रहे लोग उसे न्यायपूर्ण मानते हों। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि वाल्ज़र ने सामुदायिक मूल्यों को श्रेष्ठ माना है। वाल्जर का तर्क है कि किसी समाज की इतिहास और संस्कृति के कारण असमान वितरण को आमतौर पर न्याय संगत माना जाता है। इसलिए वह समाज न्यायसंगत है क्योंकि वितरण के सिद्धांत वितरित की जाने वाली वस्तुओं के सामाजिक अर्थ के अनुरूप है।[5] इस प्रकार उन्होंने न्याय की स्थापना के नाम पर सांस्कृतिक मूल्यों की बली न देकर उन्हें संरक्षित करने पर बल दिया है।

सहिष्णुता संबंधी विचार

वाल्ज़र ने अपनी पुस्तक ''ऑन टॉलरेशन'' में सहिष्णुता संबंधी विचारों के माध्यम से बहुसांसतिकवाद और सहिष्णुता की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किये जाने पर बल दिया है। उनका मानना है कि आधुनिक समाज में न्याय के आवश्यक घटकों के रूप में बहुसांस्कृतिकवाद और सहिष्णुता को स्वीकारा जाना चाहिए। यहाँ सहिष्णुता का अर्थ केवल स्वेच्छा से उन मान्यताओं, कार्यों या प्रथाओं में हस्तक्षेप न करना नहीं है, जिन्हें हम अस्वीकार करते हैं या नापसंद करते हैं और न ही उनके प्रति उदासीनता का भाव रखना है, बल्कि इसका अभिप्राय यह भी है कि विभिन्न सामुदायिक मूल्यों को सम्मान दिया जाना चाहिए। यह शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है परन्तु यहाँ यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सहिष्णुता की सीमाएं भी निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे मूल्यों और परम्पराओं के नाम पर शोषण को रोका जा सके।

सहिष्णुता की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए उन्होंने केवल राज्य सहिष्णुता, जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक संघर्ष से उत्पन्न, इसमें एक प्रमुख राज्य या बहुसंख्यक राज्य अल्पसंख्यकों को अस्तित्व में रहने की अनुमति देता है तथा सामाजिक सहिष्णुता, जो नागरिकों के बीच आपसी सम्मान, जो एक– दूसरे को समान मानते हैं, भले ही वे एक दूसरे की मान्यताओं को अस्वीकार करते हों से आगे बढ़कर सकारात्मक अथवा सद्‌गुण–आधारित सहिष्णुता पर बल दिया जो भिन्न विचारों के प्रति सम्मानजनक रवैये को दर्शाता है।

---

[5] वाल्ज़र, एम0ए ''स्पीयर्स ऑफ जस्टिशः ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज़्म एण्ड इक्वैलिटी'' (Walzer M., "Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality), बेसिक बुक्स, न्यूयार्क, 1983ए पृ0 9

सामुदायिक जीवन के महत्व की पुनर्स्थापना में माइकल वाल्ज़र के विचारों की प्रासंगिकता

माइकल वाल्ज़र के राजनीतिक विचारों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने व्यक्ति के लिए समुदाय के महत्व को स्वीकारते हुए, सामुदायिक जीवन के महत्व को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। समुदाय में बंधुत्व की भावना का प्रसार करने के लिए जिस प्राकर न्याय की आवश्यकता होती है, वाल्ज़र ने अपने वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्त से यह स्पष्ट कर दिया कि न्याय की संकल्पना समुदाय के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए तथा मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में न्याय स्थापित करने हेतु वितरण के आधारों का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समाज में जटिल समानता की स्थापना की जा सके, जिससे किसी व्यक्ति विशेष अथवा वर्ग विशेष का अधिपत्य समस्त क्षेत्रों में न स्थापित हो जाए। छोटी– छोटी असमानताओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण समानता के स्थान पर जटिल समानता एक ऐसा विकल्प है, जो किसी एक क्षेत्र की असमानताओं को अन्य क्षेत्रों में असमानता का कारण बनने से रोकता है। इस प्रकार न्याय की यह संकल्पना समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरता है।

इसी प्रकार अधिकांश समाज में सामुदायिक जीवन के समक्ष उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता की समस्या का निस्तारण करते हुए वाल्ज़र ने सहिष्णुता के व्यवहारिक और मूल्य परक स्वरूप को भी उजागर करते हुए यह स्थापित करने का प्रयास किया कि सहिष्णुता का अभिप्राय मात्र किसी अन्य सांस्कृतिक और सामुदायिक मूल्य को स्वीकार करना या उसके प्रति उदासीन होना नहीं है, बल्कि समस्त समुदायों को सम्मान देना है, जिससे समाज के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखा जा सके।

अतः यह कहा जा सकता है कि वाल्ज़र ने यह स्पष्ट कर दिया कि समुदाय का अर्थ केवल एक समूह में रहना मात्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना तथा सामाजिक अंतर्निरभरता को सहज रूप से स्वीकारना है। ऐसा करने पर न केवल समाज को एक बहुसांस्कृतिक पहचान प्राप्त होती है, बल्कि यह लोकतंत्र में सकारात्मक प्रतिभाग को बढ़ावा देने में भी सार्थक सिद्ध होता है। लोकतंत्र में प्रतिभाग की समस्या, जो वर्तमान विश्व में समस्त लोकतंत्र के लिए एक संकट बनी हुई है, का उचित निवारण माइकल वाल्ज़र के विचारों में देखने को मिलता है।